भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, व्यभिचार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।

मेन्स के लिये:

भारतीय न्याय संहिता, 2023, संशोधन, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप एवं उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 विधेयक की समीक्षा की है, जिसमें **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली** में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें **व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ** प्रावधान तथा सिफारिशें शामिल हैं।

- गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया BNS विधेयक, **औपनिवेशिक युग** के भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है।

BNS में प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएँ:

- **व्यभिचार और लिंग-तटस्थ प्रावधान:**
  - संसदीय समिति ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की है।
    - यह कदम सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा **वर्ष 2018** में व्यभिचार को अपराध मानने वाली **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक** घोषित करने के बाद उठाया गया है।
  - पैनल लिंग-तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है।
- **बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करना और पाशविकता:**
  - यह समिति **पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंधों** के साथ-साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने के लिये एक खंड पर विचार कर रही है।
  - यह **यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को** व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगित करती है।
- **विभिन्न शब्दों की परिभाषा:**
  - समिति ने विधेयक में **"सामुदायिक सेवा"** और **"आजीवन कारावास"** जैसे शब्दों के लिये बेहतर परिभाषाएँ सुझाई हैं।
- **सकारात्मक परिवर्तन:**
  - नए ड्राफ्ट कोड में **धारा 124A** (देशद्रोह) को हटाने और विदेशों में किये गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल हैं।

व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क:

- **व्यभिचार को वैध बनाना**
  - **व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता: जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018** के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने **व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता के अधिकार के महत्त्व** को मान्यता दी।
  - व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है।
    - न्यायालय ने कहा कि 158 वर्ष पुराना कानून असंवैधानिक है और **अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।**

- **डॉक्ट्रनि ऑफ करवेचर:** भारतीय दंड संहति (**Indian Penal Code- IPC**) की धारा 497 कवरचर के सद्धिांत पर आधारति है।
    - हालाँकि यह संवधिान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इस सद्धिांत के अनुसार, ववािह के बाद एक महलिा अपनी पूर्व पहचान और कानूनी अधकिार खो देती है, यह उसके मौलकि अधकिारों का उल्लंघन है।
- **मानवीय स्वतंत्रता:** सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ववािह का मतलब **एक की स्वायत्तता दूसरे को सौंपना** नहीं है।
    - यौन वकिल्प चुनने की क्षमता **मानव स्वतंत्रता के लयि आवश्यक** है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी कसिी व्यक्ति को उसकी पसंद से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहयि।
    - सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि "समाज एक महलिा पर असंभव गुण थोपता है, उसे ऊँचे पायदान पर खड़ा करता है तथा उसे एक दायरे में सीमति कर देता है, समाज उसे एक वस्तु की श्रेणी में रखता है और कहता है कि उसे पवति्र होना चाहयि। लेकनि उसी समाज को बलात्कार, ऑनर कलिगि, लगि-नरि्धारण और शशिु हत्या जैसे कृत्य करने में कोई हचिकचिाहट नहीं होती।"
- **नविारण प्रभाव:** वैधीकरण उन व्यक्तयिों पर कानून के भयावह प्रभाव को खत्म कर सकता है जो वधिकि परणिामों के डर के कारण **अपमानजनक या नाखुश ववािह को छोड़ने के लयि अनचि्छुक** हो जाते हैं।
    - यह मुक्त संचार और **वैवाहकि मुद्दों के समाधान** को प्रोत्साहति कर सकता है।
- **न्यायकि बोझ को कम करना:** व्यभचिार के मामले कानूनी व्यवस्था पर बोझ डालते थे। इसका वधिकिरण कयि जाने से न्यायालय अधकि गंभीर मुद्दों और मामलों को नपिटाने के लयि स्वतंत्र हो सकते हैं।

- **व्यभचिार को अपराध घोषति करना:**
    - **वैवाहकि पवति्रता का संरक्षण:** व्यभचिार वैवाहकि प्रथा को नुकसान पहुँचा सकता है, जसिसे परविार टूट सकते हैं और जीवनसाथी एवं बच्चों को भावनात्मक आघात लग सकता है। इसे अपराध घोषति करना ववािह की पवति्रता की रक्षा करने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है।
    - **लगि संरक्षण:** यह तर्क दयिा जाता है कि व्यभचिार को अपराध घोषति करना महलिाओं को बेवफा जीवनसाथी से बचाने का एक साधन है जो **अन्यथा उन्हें छोड़ सकते हैं**, जसिसे वे आर्थकि रूप से कमज़ोर हो सकती हैं।
    - **नैतकि और सामाजकि मूल्य:** यह तर्क दयिा जाता है कि व्यभचिार (Adultery) कानून **पारंपरकि नैतकि एवं सामाजकि मूल्यों** को बरकरार रखता है, जो अभी भी भारतीय समाज में कई लोगों के लयि महत्त्वपूर्ण हैं।
        - व्यभचिार को अपराध घोषति करने को पारविारकि संरचना की सुरक्षा एवं संरक्षण के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जसिे समाज का मूलभूत नरि्माण खंड माना जाता है।

आगे की राह

- परविारों और रशि्तों पर व्यभचिार के प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने से **व्यक्तयिों को** अपने व्यक्तगित जीवन के बारे में **सूचति नरि्णय लेने** में मदद मलि सकती है।
- मैरजि काउंसलगि के मामलों में जोड़ों को ववािह परामर्श और मध्यस्थता के लयि प्रोत्साहति करना **व्यभचिार के मुद्दों को हल करने के लयि एक सक्रयि दृष्टकिोण** हो सकता है। ऐसी सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच को बढ़ावा देना लाभप्रद हो सकता है।
- जोड़ों को न्यायालय प्रणाली के बाहर बेवफाई या वैवाहकि कलह से संबंधति मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लयि मध्यस्थता जैसे वैकल्पकि ववािद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-bharatiya-nyaya-sanhita,-2023